प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ०शि०) उ०प्र०,
डिग्री अर्थ-1 (आयोग)
प्रयागराज।

सेवा में

सचिव [illegible] प्राधिकृत नियंत्रक सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी (एकल संचालन की स्थिति में)
(201) कालिका धाम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी

पत्रांक : डिग्री अर्थ-1(आयोग)/ 238-246/2021-22 दिनांक 22/10/2021

विषय : विज्ञापन संख्या 49 में विज्ञापित पद स्नातक स्नातकोत्तर प्राचार्य के प्रति नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय (201) **कालिका धाम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी** के प्राचार्य के रिक्त पद का सन्दर्भ लें जो प्राचार्य की सेवानिवृत्ति इत्यादि के फलस्वरूप रिक्त है।

[illegible] प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या उच्चतर शिक्षा आयोग 601 दिनांक 05/10/2021 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन अनुमोदित एवं संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के प्राचार्य [illegible] नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अन्तर्गत आपके द्वारा अधियाचित पद [illegible] के प्राविधानों के तहत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जाता है।

चयनित अभ्यर्थी का नाम DR ANILESH KUMAR SINGH
[illegible] C-328 BUDDHI VIHAR AVAS VIKAS COLONY MORADABAD

[illegible] संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति संलग्न है। मेरिट सूची में क्रमांक 1

[illegible] निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14 (1) के प्राविधानों के अनुसार आप [illegible] प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस [illegible] को भी पृष्ठांकित करें। यह भी आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) दिया जाए।

[illegible] अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त न करने की दशा में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 1980 की [illegible] के अन्तर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज को अनिवार्यतः संसूचित करेगा।

[illegible] द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की धारा 15 (1), (2), (3) के अन्तर्गत [illegible] कार्यवाही कर दी जायेगी साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम [illegible] (यथा संशोधित) की धारा-57 के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध [illegible] की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित कर दी जायेगी। [illegible] शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवक्रमित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

[illegible] कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार आपके द्वारा निर्धारित अवधि में धारित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय जिससे [illegible] अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि इस पद के प्रति नियुक्ति के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय का कोई [illegible] आदेश है तो नियुक्ति से पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय।

[illegible] व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बिना अपरिहार्य कारणों के अपरिवर्तनीय होगी।

[illegible] अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, प्रभार प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक से प्रेषित करें।

[illegible] विज्ञापन संख्या-49 में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित प्राचार्यों की आन लाइन आसन व्यवस्था मा० न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं (याचिका सं० [illegible]10035/2021, याचिका सं० [illegible]8850(एस०एस०)/2021, [illegible] 2021, 6901/2021, 9185/2021, 5075/2021, [illegible] 2021, [illegible] 2021, [illegible]/2021, [illegible]08/2021, 9619/2021, 4359/2021, [illegible]/2021, 9976/2021, 9984/2021, 4242/2021, 6654/2021, [illegible] 2021, [illegible]/2021, 9654/2021, 9662/2021, 4808/2021, 6423/2021, 9766/20[illegible], 8298/2021, 4993/2021) एवं इससे सम्बन्धित अन्य रिट याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

भवदीय

डा० अमित भारद्वाज
शिक्षा निदेशक
(उ०शि०)
उ०प्र०, प्रयागराज।

[illegible]

प्रबन्धक
कालिका धाम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सेवापुरी-वाराणसी